कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।

पत्र सं0:2014/4034/शाहजहाँपुर/44/सीएफओ/3209 दिनांकःअक्टूबर 19, ,2014

(प्रो0 अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र)

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय,
ग्राम म्यूना खुजागंज शाहजहाँपुर।

विषयः **खसरा नं0–322, 323 ग्राम म्यूना बांगर खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर पर प्रस्तावित ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, का स्थलीय निरीक्षण कर प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा नं0–322, 323 ग्राम म्यूना बांगर खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर पर प्रस्तावित ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, का स्थलीय निरीक्षण कर प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर से सुसंगत मानको के अनुसार कराया गया तथा उनकी आख्या का परीशीलन किया गया तो विवरण निम्नवत पायाः–

भवन की संरचना–

1– प्रस्तावित कुल भूखण्ड ऐरिया–10997.77 वर्गमीटर।
2– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया भूतल–739.23 वर्गमीटर।
3– प्रस्तावित कवर्ड ऐरिया प्रथमतल–739.23 वर्गमीटर।
4– भवन की ऊँचाई–07.40 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी–प्रश्नगत महाविद्यालय भवन एन0बी0सी0 की बी0–1 श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थाऐं–

1– पहुॅचमार्ग–प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल–08.00 मी0 चौडें रोड के किनारे स्थित है।
2– प्रवेश द्वार–प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के 11.31–11.31 मीटर चौडे कमश दो द्वार मानचित्रों में दर्शाये गये है।
3– सैटबैक–निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के सैटबैक अग्रभाग–09.00 मीटर, पृष्ठभाग–06.00 मी0, पार्श्व–I, 06.00 मीटर, पार्श्व–II, 04,00 मीटर प्रस्तावित किये गये है।
4– निकास मार्ग–प्रस्तावित महाविद्यालय भवन भूतल, एवं प्रथमतल के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें निकास हेतु 1.5 मीटर चौडा एक स्टेयरकेस प्रस्तावित किया गया है।
5– **प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाऐं–** प्रस्तावित महाविद्यालय भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार स्थापित कराये जायेगे।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

01– प्रस्तावित भवन का निर्माण मानचित्रों एवं भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 एवं नेशनल विल्डिंग कोड आफ इण्डिया के अनुसार कराया जाये।
02– प्रस्तावित भवन के निर्माणोपरांत उपभोग से पूर्व अग्निसुरक्षा व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 के मानको के अनुसार स्थापित करायी जाये।
03– अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण कराकर कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
04– यह प्रमाणपत्र मात्र भवन निर्माण कार्य हेतु ही निर्गत किया जा रहा है।

उपरोक्त शर्तो का पालन करने एवं कराये जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी, अन्यथा निर्गत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जनहित में निरस्त कर दिया जायेगा।

संलग्न–अनुमोदित मानचित्र एक सैट।

19/10/14
(विवेक शर्मा)
(पी0 के0 शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बरेली।

प्रतिलिपि– अग्निशमन अधिकारी शाहजहाँपुर को अभिलेखनार्थ।